न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 हरीतिमा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 32/16

शंकरलाल पुत्र गंगाराम जाति वाल्मिकी निवासी वार्ड न. 32 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भूधारक
2. नगरपालिका, सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री भगवानदत्त शर्मा
2. अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा रेस्पो0 संख्या 02
3. पैरोकार राज

निर्णय दिनांकः 11.11.2021

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 जिसके द्वारा अपीलांट के पिता के नाम से रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 243/15 की 6.325 है0 टी.सी. आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2006 आवंटी व उसके वारिसान को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर अपीलांट के 40 वर्ष पुरानें टी.सी.आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलान्ट को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत सन 1970–71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन सें लेकर संवत 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की पैराफेरी क्षेत्र की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आवंटी का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर उक्त रकबा खारिज फरमा दिया गया व कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नही लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की सूचना अपीलांट व उसके वारिसान को नही दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आवंटी का उक्त आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा आवंटी के जीवन में आवंटी का उसके पश्चात वारिसान का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त मे चली आ रही थी। अपीलांट उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र और धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलांट आवंटी का वारिस है, जो कि आवंटी की मृत्यु के पश्चात मौका काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विधिअनुसार भी आवंटी की मृत्यु के पश्चात आवंटित भूमि के उसके वारिस मालिक होते है। अपीलांट के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे है। अपीलांट का मौका पर कब्जा होने के बावजूद उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

पक्षकार बनाये, बिना सुने मृतक व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया है। इसलिए अपने अधिकारो की सुरक्षा के लिए अपील प्रस्तुत करना चाहता है। अपीलाधीन आदेश के बारे में अपीलांट को पूर्व मे कोई जानकारी नहीं थी। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा उक्त निर्णय मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित किया है जो कि विधि विरूद्व होने से प्रारम्भिकतः शुन्य की परिभाषा में आता है। ऐसे प्रकरणों में जानकारी से अन्दर मियाद माने जाने का प्रावधान है। जानकारी होते ही अपीलांट द्वारा अपनी अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का गुणदोष पर मामला बनता है। अतः न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर गुणदोष पर सुनवाई करते हुए न्यायहित में अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो0 संख्या 02 नगरपालिका सूरतगढ़ ने इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर दि0 18.03.2021 को न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इनको पक्षकार बनाये जाने व अपील मीमों पर लाल स्याही से इसका अंकन किये जाने का आदेश दिया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान दत्त शर्मा उपस्थित हुए, रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर हुए तथा पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश मृतक आवंटी के विरूद्व दिनांक 07.09.2006 को पारित किया है, क्योंकि आवंटी गंगाराम की मृत्यु दिनांक 20.12.1976 को हो चुकी थी। इस रकबा पर पूर्व में आवंटी व उनकी मृत्यु पश्चात अपीलांट मौका पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अपीलाधीन आदेश आवंटी व उसके वारिसान को बिना सुनें, बिना साक्ष्य के आवंटी का 40 वर्ष पुराना टी.सी. आवंटन अपने ही कयासो कें आधार पर खारिज कर दिया। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2012 पेज 110, आरआरटी 2008 (2) पेज 1216, आरबीजे 2013 पेज 226, आरआरटी 2017 पार्ट–I पेज 125 (एचसी) में यह माना है कि एक मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश शुरू से ही शून्य हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अनवान देवीलाल चर्तुवेदी बनाम फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय शुरू से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आवंटी के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा आवंटी के फौत होने के पश्चात अपीलांट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने आवंटी का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका के पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 व निगरानी/एलआर/7516/2006/श्रीगंगानगर अनवान करणी सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2021 में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार को टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (I) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117 की ओर ध्यान दिलाया। अपीलांट मृत्त आवंटी गंगाराम का वारिस होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने का कानूनी हकदार है। चूंकि अपीलाधीन आदेश आवंटी व उसके वारिसान के पीठ के पीछे पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्व पारित किया है अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना स्वीकार किया जावे तथा धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

करने में हुई देरी को माफ करने तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दि0 07.09.2006 खारिज किया जावे।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेराफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते तथा ना ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. नगरपालिका, सूरतगढ़ के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में वर्णित रकबा नगरपालिका को हस्तांतरित हो चुका है व नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा इस रकबा में आबादी का विस्तार किया गया है व सडके बनवाई गई है। अपीलांट का उक्त रकबा सूरतगढ़ पैराफेरी क्षेत्र मे आने से टी.सी. आवंटन खारिज होने के बाद जब रकबा नगरपालिका को हस्तांतरण हो चुका है तो अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का कोई हित नहीं है ना ही अपीलांट का कब्जा है तथा टीसी आवंटी के फौत होते ही टी.सी. आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। मृतक गंगाराम के कुल 8 वारिस है जिसमें से एकमात्र वारिस शंकरलाल ने यह अपील पेश की है। अपीलांट का पेशा काश्तकारी हो या आवंटी के 1976 में फौत हो जाने के पश्चात उसके वारिसों ने पिछले 45 वर्षो में कभी टी.सी. नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र पेश किया हो ऐसा तथ्य पत्रावली में मौजूद नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.04.2006 को जवाब भी पेश किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को थी परन्तु अपीलांट ने जानबुझ कर अपील पेश करने में देरी की है। इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी कतई माफी योगय नहीं है व अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है तथा गुणावगुण में भी अपील निरस्त की जाने योग्य है। कूननी नजीर आरबीजे 1999 पेज 214, आरएलडब्ल्यू 2004 पेज 705, आरआरटी 2021 पेज 336, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दि0 08.02.2006, कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्र दि0 11.07.2005 की ओर ध्यान दिलाया।

7. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि आवंटी गंगाराम पुत्र परतुराम के नाम से आवंटित है। जिसके अपीलांट मुताबिक सदस्य प्रमाण पत्र व शपथ पत्र से वारिस होना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पारित निर्णय अनुसार आवंटी के नाम संवत् 2061 तक नवीनीकरण होना व रकम कायम होना साबित है जिससे स्पष्ट है कि आवंटी के वारिसों का आवंटित भूमि पर कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। आवंटी की मृत्यु के पश्चात अपीलांट्स मौका पर काबिज चले आ रहे है। अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि को आवंटी व उसके पश्चात अपीलांट द्वारा सुधारा गया है। अपीलांट मृतक गंगाराम का वारिस होने से हितबद व्यक्ति है व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित है। अपीलांट अस्थाई आवंटी का पुत्र होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने हकदार भी है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र का रेस्पोडेंट द्वारा ना तो कोई जवाब पेश किया गया तथा ना ही कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आवंटी एवं अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्व पारित किया गया है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है। ऐसे निर्णय को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 07.9.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 243/15 की 6.325 है0 बारानी भूमि गंगाराम पुत्र परतूराम जाति हरीजन को टी.सी. आवंटन हुई थी जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए आवंटी गंगाराम के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। उक्त आदेश आवंटी की मृत्यु दिनांक 20.12.1976 के पश्चात मृतक के विरूद्व पारित किया गया है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कूननी नजीरों के अनुसार मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित निर्णय शून्य प्रभाव वाला

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि आवंटी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 व निगरानी/एलआर/7516/2006/श्रीगंगानगर अनवान करणी सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2021 के तथ्य इस प्रकरण में भलीभांती लागू होते है तथा इन सभी प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने भी यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार को टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है, उक्त अधिकार जिला कलक्टर को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कूननी नजीरें इस प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते है, इसलिए अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 07.09.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner